

8311

13/8/14

संख्या-1193/पॉच-9-2014-9(186)/13

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,  
परिवार कल्याण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

2- मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2014

विषय:-प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन०यू०एच०एम०) की गतिविधियों के संचालन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) के अन्तर्गत गठित समितियों का विस्तारीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-एल-19017/1/2008-यू०एच०(Vol III), दिनांक 17.05.2013 एवं कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/एन०यू०एच०एम०/एस० एच०एस०/2013-14/05/6553-7, दिनांक 30.03.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) के द्वितीय चरण (वर्ष 2012-17) हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित मेमोरान्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (MoU) के अनुरूप विभिन्न स्तर पर एन०आर०एच०एम० के अन्तर्गत पूर्व में गठित समितियों में संशोधन कर जनपदों को दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। उक्त एम०ओ०यू० के अधीन गठित विभिन्न समितियों में, शहरी नागरिकों विशेष रूप से शहरी गरीबों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के दृष्टिगत अद्यतन लागू किये गये एन०यू०एच०एम० के दिशा-निर्देश के अनुरूप निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

- 1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०) के रूप में जाना जायेगा एवं उसके अन्तर्गत दो उप-मिशन अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन०यू०एच०एम०) होंगे।
- 2) दिनांक 12.08.2013 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०) के द्वितीय चरण (वर्ष 2012-17) हेतु सम्पादित एम०ओ०यू० के अधीन गठित विभिन्न समितियों का संशोधित स्वरूप राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन०यू०एच०एम०) की मार्ग-निर्देशिका के अनुरूप निम्नवत् होगा:-

राज्य स्वास्थ्य मिशन	
अध्यक्ष	-मा० मुख्यमंत्री
सह-अध्यक्ष	-मा० मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
सदस्य	-मा० मंत्री, चिकित्सा शिक्षा/आयुष
	-मा० मंत्री, नगर विकास
	-मा० मंत्री, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
	-मा० मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण
	-मा० मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
	-मा० मंत्री, महिला एवं बाल विकास
	-मा० मंत्री, पंचायती राज

EM(U.H)

Asst.

13/8/14

	<p>—मा० मंत्री, समाज कल्याण</p> <p>—मा० मंत्री, ग्रामीण विकास</p> <p>—मा० मंत्री, वित्त</p> <p>—मा० मंत्री, नियोजन</p> <p>—मा० मंत्री, बेसिक शिक्षा</p> <p>—राज्य सरकार द्वारा नामित जन प्रतिनिधि (5 से 10) यथा लोकसभा/विधान सभा सदस्य, अध्यक्ष—जिला परिषद, नगरीय/स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि (महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व)।</p> <p>—मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।</p> <p>—कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।</p> <p>—प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा (आयुष), आवास एवं शहरी नियोजन, महिला कल्याण एवं बाल विकास, पंचायती राज, समाज कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास, वित्त, नियोजन, बेसिक शिक्षा, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, लोक निर्माण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।</p> <p>—सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।</p> <p>—मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।</p> <p>—भारत सरकार के प्रतिनिधि नामित अशासकीय (5-8) सदस्य—आई.एम.ए., आई०पी० एच०, फॉगसी, आई०ए०पी० एवं स्वैच्छिक संस्था आदि।</p> <p>—यूनीसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि, चिन्हित विकासशील सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि।</p> <p>संयोजक —प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।</p>
<p>क- राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी</p>	
<p>(क) शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी)</p>	
<p>अध्यक्ष</p> <p>उपाध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p>	<p>—मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।</p> <p>—प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।</p> <p>—प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन, आवास एवं शहरी नियोजन, महिला कल्याण एवं बाल विकास, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, कार्यक्रम क्रियान्वयन, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा (आयुष), कार्यक्रम क्रियान्वयन, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।</p> <p>—सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।</p> <p>—महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।</p> <p>—महानिदेशक, परिवार कल्याण (राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), उ०प्र०।</p> <p>—महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०।</p> <p>—अपर मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, उ०प्र०।</p> <p>—अपर मिशन निदेशक, एन०यू०एच०एम०, उ०प्र०।</p> <p>—भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि</p> <p>—निदेशक—आयुर्वेद/यूनानी, निदेशक— होम्योपैथ</p> <p>—राज्य में कार्यरत अन्य विकासशील सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि</p> <p>—सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ।</p> <p>— मातृ गैर सरकारी संगठन (मदर एन०जी०ओ०) का प्रतिनिधि</p> <p>—चिकित्सा संघों का प्रतिनिधि</p> <p>—क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार</p> <p>संयोजक —मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।</p>



(ख) कार्यकारी समिति	
अध्यक्ष	-प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
उपाध्यक्ष	-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
	-महानिदेशक, परिवार कल्याण (राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), उ०प्र०।
सदस्य	-सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
	-अपर मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम० (सीनियर टाइम स्केल से सेलेक्शन ग्रेड तक के आई.ए.एस. अधिकारी), उ०प्र०।
	-अपर मिशन निदेशक, एन०यू०एच०एम०, उ०प्र०।
	-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा।
	-महानिदेशक, न्यूट्रिशन मिशन।
	-निदेशक, आयुर्वेद व यूनानी।
	-निदेशक, होम्योपैथ।
	-निदेशक, महिला एवं बाल विकास, बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, स्वजल, सूडा, आई.सी.डी.एस.
	-निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम
	-निदेशक, स्थानीय निकाय,
	-निदेशक, अल्प संख्यक कल्याण,
	-प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
	-राज्य स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी
	-परियोजना निदेशक, एड्स
	-महाप्रबन्धक, जल संस्थान
	-क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार,
संयोजक	-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (सुपरटाइम स्केल के आई.ए.एस. अधिकारी)
(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति	
अध्यक्ष	-प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
सह-अध्यक्ष	-सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
सदस्य	-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
	-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
	-महानिदेशक, चिकित्सा एवं शिक्षा, उ०प्र०।
	-वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण निदेशालय
	-निदेशक, महिला एवं बाल विकास, बेसिक शिक्षा, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
	-निदेशक, होम्योपैथी,
	-निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी
	-निदेशक, स्थानीय निकाय
	-निदेशक, सूडा
	-निदेशक, अल्प संख्यक
	-महाप्रबंधक, एन०आर०एच०एम० (2-3 व्यक्ति, एजेण्डा बिन्दु के अनुसार)
	-वरिष्ठ वित्त प्रबंधक/वित्त प्रबंधक, एस०पी०एम०यू०
सदस्य सचिव	-महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिवार कल्याण
(घ) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति	
अध्यक्ष	-प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
सह-अध्यक्ष	-सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
सदस्य	-मिशन निदेशक-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
	-महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिवार कल्याण
	-महानिदेशक, चिकित्सा एवं शिक्षा
	-वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें महानिदेशालय,
	-निदेशक-महिला एवं बाल विकास, बेसिक शिक्षा, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
	-निदेशक, होम्योपैथी,
	-निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी
	-निदेशक, स्थानीय निकाय

सदस्य सचिव	<ul style="list-style-type: none"> <li>-निदेशक, सूडा</li> <li>-निदेशक, अल्प संख्यक</li> <li>-महाप्रबंधक, एन०आर०एच०एम० (2-3 एजेण्डा के अनुसार)</li> <li>-वरिष्ठ वित्त प्रबंधक/वित्त प्रबंधक, एस०पी०एम०यू०</li> <li>-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।</li> </ul>
<b>3. जिला स्वास्थ्य मिशन</b>	
अध्यक्ष सह अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>-अध्यक्ष, जिला पंचायत (प्रथम एम०ओ०यू० में जनपद के प्रभारी मंत्री)</li> <li>-जिलाधिकारी</li> <li>-मुख्य विकास अधिकारी</li> <li>-क्षेत्रीय मा० सांसद एवं विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि</li> <li>-मेयर, नगर निगम/अध्यक्ष नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत</li> <li>-स्वास्थ्य के जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी</li> <li>-जिला परिषद का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी</li> <li>-नगर आयुक्त, ई०ओ०, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत</li> <li>-जिला परियोजना अधिकारी, डूडा</li> <li>-जिला समाज कल्याण अधिकारी</li> <li>-जिला श्रम अधिकारी</li> <li>-जिला पंचायती राज अधिकारी</li> <li>-महिला एवं बाल विकास का जिला कार्यक्रम अधिकारी</li> <li>-बेसिक शिक्षा अधिकारी</li> <li>-जिला विद्यालय निरीक्षक</li> <li>-जिला महिला एवं पुरुष चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</li> <li>-मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य, गैर सरकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ (जिला स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष द्वारा नामित)</li> <li>-स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि (जिला स्वास्थ्य मिशन अध्यक्ष द्वारा नामित)।</li> </ul>
विशेष आमंत्रित	<ul style="list-style-type: none"> <li>-जनपदीय यूनीसेफ के प्रतिनिधि/ डब्लू०एच०ओ०/अन्य विकासशील सहयोगियों के प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामित।</li> </ul>
संयोजक	<ul style="list-style-type: none"> <li>-मुख्य चिकित्सा अधिकारी</li> </ul>
<b>(ख). जिला स्वास्थ्य सोसाइटी</b>	
<b>(i) शासी निकाय (गवर्निंग बाडी)</b>	
अध्यक्ष उपाध्यक्ष सह अध्यक्ष सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>-जिलाधिकारी</li> <li>-मुख्य विकास अधिकारी</li> <li>-मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०</li> <li>-स्वास्थ्य विभाग के जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी,</li> <li>-नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, परियोजना अधिकारी, डूडा</li> <li>-जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी</li> <li>-जिला समाज कल्याण अधिकारी</li> <li>-जिला श्रम अधिकारी</li> <li>-जिला पंचायतीराज अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला कार्यक्रम अधिकारी</li> <li>-बेसिक शिक्षा अधिकारी,</li> <li>-जिला विद्यालय निरीक्षक,</li> <li>-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला एवं पुरुष चिकित्सालय।</li> <li>-चिकित्सा अधीक्षक, नगर निगम/रेलवे/ई०एस०आई०/मिलिट्री चिकित्सालय आदि।</li> <li>-जनपदीय आयुर्वेद एवं होम्योपैथ अधिकारी</li> <li>-चिकित्सा संघ के सदस्य,</li> <li>-स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि,</li> <li>-जनपदीय यूनीसेफ, डब्लू०एच०ओ०, अन्य विकासशील सहयोगियों के प्रतिनिधि।</li> </ul>
संयोजक	<ul style="list-style-type: none"> <li>-मुख्य चिकित्सा अधिकारी</li> </ul>



<b>(ii) कार्यकारी समिति</b>	
अध्यक्ष सह-अध्यक्ष सह-अध्यक्ष सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>-मुख्य चिकित्सा अधिकारी</li> <li>-अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी-एन0आर0एच0एम0</li> <li>-अपर मुख्य चिकित्साधिकारी / नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0</li> <li>-जिला अन्धता निवारण अधिकारी,</li> <li>-परियोजना अधिकारी डूडा,</li> <li>-अधिशासी अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,</li> <li>-नगर स्वास्थ्य अधिकारी,</li> <li>-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,</li> <li>-जिला समाज कल्याण अधिकारी</li> <li>-जिला श्रम अधिकारी</li> <li>-जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी,</li> <li>-जिला कुष्ठ अधिकारी,</li> <li>-जिला वेक्टर वार्न डिजीज अधिकारी,</li> <li>-अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतिरक्षण,</li> <li>-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, (पुरुष / महिला)</li> <li>-जिला पंचायतराज अधिकारी,</li> <li>-जिला परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0</li> <li>-बेसिक शिक्षा अधिकारी,</li> <li>-भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष,</li> <li>-जिला अधिकारी द्वारा नामित स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि।</li> <li>-आयुष के प्रतिनिधि।</li> </ul>
संयोजक	-जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक / ए0सी0एम0ओ0 (आर0सी0एच0)
<b>रोगी कल्याण समिति</b>	
<b>जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु समितियां-</b>	
<b>शासी निकाय (गवर्निंग बाडी)</b>	
अध्यक्ष सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>-जिलाधिकारी</li> <li>-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर महापालिका, मुख्य चिकित्सा अधिकारी</li> <li>-मुख्य चिकित्साधिकारी</li> <li>-जिला स्तरीय आयुर्वेद / होम्योपैथी अधिकारी,</li> <li>-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत</li> <li>-पंचायती राज संस्था के दो प्रतिनिधि</li> <li>-मातृ स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधि</li> <li>-जिलाधिकारी द्वारा नामित 3 महत्वपूर्ण नागरिक</li> <li>-स्थानीय मेडिकल कालेज के प्रतिनिधि</li> <li>-जिला अधिकारी द्वारा नामित स्थानीय कारपोरेट सेक्टर / एन0जी0ओ0 चिकित्सालयों के प्रतिनिधि</li> <li>-स्थानीय एम0पी0 / एम0एल0ए0</li> <li>-सह-सदस्य के रूप में वे व्यक्ति हो सकते हैं, जो जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा निर्धारित (उदाहरण के रूप में रु0 5,000.00 अथवा अधिक) धनराशि आर0के0एस0 में दान के रूप में जमा कराते हैं।</li> <li>-संस्थागत सदस्य के रूप में वह संस्था हो सकती है, जो जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा निर्धारित (उदाहरण के रूप में रु0 50,000.00 अथवा अधिक) धनराशि आर0के0एस0 में दान के रूप में जमा कराते हैं अथवा किसी बॉर्ड के रख-रखाव का उत्तरदायित्व लेते हैं।</li> </ul>
<b>कार्यकारी समिति</b>	
अध्यक्ष सदस्य सचिव सदस्य सचिव सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>-चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</li> <li>-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी</li> <li>-शहरी क्षेत्रों के अरबन सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 के चिकित्सा अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</li> <li>-शासी निकाय में पंचायतीराज विभाग के प्रतिनिधि</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि</li> <li>-शासी निकाय में जिला अधिकारी के नामित सदस्य</li> <li>-कार्यकारी समिति द्वारा नामित अन्य अधिकारी</li> </ul>
<b>अनुश्रवण समिति-</b>	<b>शासी निकाय द्वारा गठित</b>
अध्यक्ष	-मेयर अथवा/अध्यक्ष नगर पालिका/अध्यक्ष जिला परिषद
सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>-कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा नामित)</li> <li>-स्थानीय विधायक/सांसद</li> <li>-कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष जिला नगर पालिका/ नगर परिषद द्वारा नामित)</li> <li>-क्षेत्र में कार्यरत सक्रिय एन0जी0ओ0 यथा-रोटरी, जेसीज आदि</li> </ul>
सदस्य सचिव	-वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय द्वारा नामित)
<b>उप जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु समितियां-</b>	
<b>शासी निकाय (गवर्निंग बाडी)</b>	
अध्यक्ष	-उप मण्डलीय मजिस्ट्रेट/ब्लाक विकास अधिकारी, पंचायत समिति
सह अध्यक्ष	-उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/समकक्ष
सह अध्यक्ष	-नोडल अधिकारी, एन0यू0एच0एम0 /समकक्ष
सदस्य सचिव	-चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी अथवा अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्साधिकारी
सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>-चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</li> <li>-शहरी क्षेत्रों के अरबन सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</li> <li>-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आयुष चिकित्सक,</li> <li>-ब्लाक स्तरीय अधिकारी- आई0सी0डी0एस0, ग्रामीण विकास</li> <li>-पंचायती राज, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग</li> <li>-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि</li> <li>-जिलाधिकारी द्वारा नामित महत्वपूर्ण नागरिक</li> <li>-पंचायतीराज के प्रतिनिधि</li> <li>-नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि</li> </ul>
<b>कार्यकारी समिति</b>	
अध्यक्ष	-चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी
सदस्य सचिव	-शासी निकाय के सदस्य सचिव (चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी, अधीक्षक द्वारा नामित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी)
सदस्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>-शासी निकाय के सदस्यों में से पंचायती राज संस्था के दो प्रतिनिधि।</li> <li>-जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा नामित शासी निकाय के सदस्य।</li> <li>-ब्लाक स्तरीय अधिकारी सी0डी0पी0ओ0-आई0सी0डी0एस0, बी0ई0ओ0-शिक्षा, खण्ड विकास अधिकारी-पंचायत</li> <li>-नगर विकास विभाग के प्रतिनिधि</li> </ul>
<b>अनुश्रवण समिति</b>	
अध्यक्ष	-नगर पालिका/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि
सदस्य सचिव	-अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्साधिकारी
सदस्य	-जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि

2- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के अन्तर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन0यू0एच0एम0) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के द्वितीय चरण (वर्ष 2012-17) हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के मध्य हस्ताक्षरित मेमोरन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (MoU) के अन्तर्गत गठित समितियों को उपर्युक्त सीमा तक विस्तारित किया जाता है। शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)  
प्रमुख सचिव।



संख्या-1193(1)/पॉच-9-2014, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
  2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
  3. निजी सचिव, सम्बन्धित मा० मंत्रीगण, उ०प्र० शासन को मा० मंत्रीगण के सूचनार्थ।
  4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के सूचनार्थ।
  5. अन्य सभी सम्बन्धित सदस्यगण।
  6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
  7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ।
  8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
  9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
  10. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
  11. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
  12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)  
संयुक्त सचिव।